फर्द अहकाम

नाम न्यायालय — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी — अप्रार्थीगण

सत्यनारायण बनाम बजरंग व अन्य

211/24 (2024/556 online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना-पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 2.8831 के संबंध में अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26/12/24 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। वकील प्रार्थी तलबाना आज ही पेश करें। बाद जॉच नोटिस अप्रार्थीगण को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, नोटिस भेजकर डाक रसीद पेश करें। पत्रावली पुनः दिनांक 26/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य. नही की जा सकी । पत्रावली दिनांक 24.1.25 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
24/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19.2.25 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
[illegible]2.25	पत्राव[illegible] हुई। P.O.सा. दौरे/ [illegible] रहने के कारण कार्य. [illegible] नही की जा सकी । पत्रावली दिनांक 10/3/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
[illegible]3.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा [illegible] दिनांक 30.4.25 [illegible] (हस्ताक्षर)	

कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण द्वारा कन्सोर्ट ... कार्य स्थगित करने के कारण ... कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/8/25 को पेश हो।	
/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रकरण पर बहस प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात पाते है कि वादग्रस्त भूमि ख०नं० 116 रकबा 2.8831 हे० वाके ग्राम हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तह० बस्सी जयपुर मे प्रार्थी व तरतिबी अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है व पास ही सीमा पर स्थित ख.न. 114/6, 115/2, 115/3 व ख.न. 116 के मध्य सीमा को लेकर विवाद है उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का मूल दावा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04/11/2024 आदेश को	

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		Combine किया जाता है कि उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 116 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण कोई दस्तन्दाजी नहीं करे एवं मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
		यह निर्णय आज दिनांक 28/08/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
		28/8/25 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर

R.A.
check & refile
2/1/...

न्यायायल उपखण्ड...

जिल...

प्रार्थना पत्र संख्या 215...

1 - सत्यानारायण पुत्र ...
हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपु...

ब...

1 - बजरंगलाल पुत्र जगदी...

2 - सीताराम पुत्र जगदीश...

3 - हनुमानसहाय पुत्र जग...

समस्त जाति अहीर ...
विजयमुकुन्दपुरा तहसील ब...

4 - सबरजिस्ट्रार महोदय ...

5 - तहसीलदार महोदय ब...

6 - भंवरलाल दत्तक ...
हीरावाला उर्फ विजयमुकुन्दपु...

Scanned with OKEN Scanner